<u>कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार (म.प्र.)</u>

<u>कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024</u>

क्रमांक– /का.वि. पत्रक/2024 धार, दिनांक : 07/02/2024

धार जिला एवं सत्र खंड के लिये साम्पत्तिक तथा आपराधिक प्रकरणों का **<u>कार्य विभाजन पत्रक वर्ष–2024</u>** निम्नानुसार प्रसारित किया जाता है :–

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार	सम्पूर्ण सत्र खंड, धार	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपील। 3. आपराधिक रिवीजन (न्याय पंचायत रिवीजन छोड़कर)। 4. द.प्र.सं. की धारा 438 एवं 439 के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र। 5. द.प्र.सं. की धारा 341 के अन्तर्गत प्रकरण। 6. आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ग) के प्रकरण एवं अन्य अधिनियम के प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये है। 7. दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आने वाले प्रकरण। 8. सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्य समस्त प्रकरण।
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. रूपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्याकंन के साम्पत्तिक वाद। 2. धार तहसील एवं राजस्व तहसील पीथमपुर से संबंधित दुर्घटना में हुई मृत्यु की क्षतिपूर्ति के क्लेम प्रकरण एवं ऐसे क्लेम प्रकरण जो एक ही घटना से संबंधित मृत्यु एवं क्षतिपूर्ति के हो। (पक्षकारगण धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर के निवासी हो अथवा दुर्घटना उपरोक्त तहसील के अंतर्गत घटित हुई हो) 3. धार मुख्यालय पर वर्तमान में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, धार एवं वर्ष 2024 में पदस्थ होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र तथा आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित अपील। 4. सी.पी.सी. की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, अवार्ड एवं आदेश से उत्पन्न होंगे । 6. भाड़ा नियत्रंण अधिकारी के आदेश की अपील। 7. लोक परिसर बेदखलीय अधि. के अधीन पारित आदेश की अपील। 8. म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1981 की धारा–20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें <u>(मात्र धार तहसील से संबंधित)</u> 9. अन्य समस्त स्पेशल एवं लोकल लीज के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यवहार प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये है। 10. पांच करोड़ एक रूपये से अधिक के Arbitration and Conciliation Act, 1996 के प्रस्तुत प्रकरण। <u>(मात्र धार तहसील से संबंधित)</u>

			11. पुराने भू–अर्जन अधिनियम 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन अधिनियम 2013(भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 12. खाद्य सुरक्षा मानक पदार्थ अधिनियम–2006 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली विविध दिवानी अपील 13. रजिस्ट्री जबलपुर के पृष्ठांकन क्र. बी/6235/ तीन–6–5/18, दिनांक 23/12/22 के अनुसार जिला धार की स्थानीय सीमाओं हेतु अधोसंरचना परियोजना से संबंधित दावों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय। (कार्यालयीन पृष्ठांकन क्र. 3385/एस.डब्ल्यू/एच.सी–2021, धार, दिनांक 24/12/22)
2.	विशेष न्यायाधीश (अधिकृत अंतर्गत धारा 14, अ.जा. एवं ज.जा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं अपर सत्र न्यायाधीश), धार एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार	सम्पूर्ण जिला धार	1- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधि. से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं जमानत आवेदन–पत्र। 2- सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण। 3- स्वापक औषधि एवं मनप्रभावी पदार्थ अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जो तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो एवं रिमांड, जमानत आवेदन पत्र।
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	**सिविल प्रभार नही।**
3.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार।	सत्र खंड धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण। 2. भृष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण। 3. मध्यप्रदेश विर्निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 के अन्तर्गत प्रकरण व उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। 4. म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 से संबंधित प्रकरण। नोट :– मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 से संबंधित प्रकरणों के प्रथम रिमांड की सुनवाई संबंधित आरक्षी केन्द्र के संबंधित न्यायालय द्वारा की जावेगी तत्पश्चात पत्रावली प्रथम अपर सत्र न्यायालय, धार की ओर भेजी जावेगी। 5. चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों से संबंधित प्रकरण। (तहसील–धार हेतु) (ज्ञापन क्र. सी/1336/तीन–2–41/76, दिनांक 21.03.2017, के आलोक में विविध कार्यालयीन 109/एस.डब्ल्यू/कार्य. विभा0/2020, दिनांक 06/08/2021)
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. आरक्षी केन्द्र **पीथमपुर / पीथमपुर सेक्टर नं0–1/ माण्डव** से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के निवासी हो अथवा दुर्घटना उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) (मृत्यु के लिये क्षतिपूर्ति के प्रकरणों को छोडकर) 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले प्रकरण। 3. धार स्थापना पर रिक्त समस्त अपर जिला एवं सत्र

			न्यायाधीश/प्रशिक्षु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय से प्राप्त आदेश निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ। 4. रूपये 1 से 2 करोड़ तक के Arbitration and Conciliation Act, 1996 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 5. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय एवं पंचम जिला न्यायाधीश, सदस्य एम.ए.सी.टी. धार के द्वारा पारित निर्णय, अवार्ड एवं आदेश से उत्पन्न होंगे । 6. धार मुख्यालय स्थापना पर पूर्व/वर्तमान में पदस्थ एवं वर्ष 2024 में आगामी पदस्थ होने वाले समस्त Trainee Judge Dhar द्वारा पारित निर्णय जय पत्र, तथा आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 7. धार मुख्यालय स्थापना पर **पूर्व** में पदस्थ समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, धार एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय जयपत्र एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील।
4.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	सत्रखण्ड/ तहसील– धार	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण।
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. आरक्षी केन्द्र **सागौर** से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के निवासी हो अथवा दुर्घटना उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) (मृत्यु के लिये क्षतिपूर्ति के प्रकरणों को छोडकर) 2. द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश धार द्वारा पारित अंतरिम आदेश से संबंधित विविध अपील। 3. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे । 4. समय समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण।
5.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार	सत्र खंड–धार	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण।
		तहसील– धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. आरक्षी केन्द्र **तिरला व सादलपुर** से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के निवासी हो अथवा दुर्घटना उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) (मृत्यु के लिये क्षतिपूर्ति के प्रकरणों को छोडकर) 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, धार एवं वर्ष 2024 में पदस्थ होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा पारित अंतरिम आदेश से संबंधित विविध अपील। 3. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार/अपर सदस्य, एम.ए.सी.टी. धार द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे तथा उनके

			न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय से प्राप्त आदेश निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉं। 4. समय समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण।
6.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	सत्र खण्ड धार तहसील– धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त प्रकार के सांपत्तिक एवं आपराधिक प्रकरण। 2. धार एवं बदनावर न्यायालय के क्षैत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहीयॉं। (अधिसूचना क. बी/6446 Electricity Act तीन–6–4/2003, जबलपुर, दिनांक 28/12/2019)
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. आरक्षी केन्द्र **धार, नौगांव व नालछा** से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के निवासी हो अथवा दुर्घटना उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) (मृत्यु के लिये क्षतिपूर्ति के प्रकरणों को छोडकर) 2. धार मुख्यालय पर वर्तमान में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं वर्ष 2024 में पदस्थ होने वाले व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय जय–पत्र तथा आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 3. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, अवार्ड एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। 4. समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण। 5. रूपये दो करोड एक से पॉंच करोड़ रूपये तक के Arbitration and Conciliation Act, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 6. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा–27 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकायें। 7. भारतीय उत्तराधिकार अधि. के पार्ट–10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण।
7.	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धार	सत्र खंड धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन, जमानत आवेदन पत्र, एवं अन्य प्रकरण। 2. धार तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्र के पाक्सों एक्ट से संबंधित ज्यूडिशियल रिमांड एवं पुलिस रिमांड सहित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षैत्राधिकार। ''नोटिफिकेशन क. ए/1806 (एफ.टी.एस.सी.एस./सी.एस.एस.) तीन–6–5/2010, जबलपुर दिनांक 14.04.2023 अनुसार श्री पंकज सिंह माहेश्वरी, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को (POCSO ACT 2012) अधिनियम के प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत।) 3. पॉक्सो अधिनियम के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अपराध से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत।
		तहसील धार एवं	पाक्सो एक्ट के प्रकरणो की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय होने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सिविल कार्य

		राजस्व तहसील पीथमपुर	आवंटित नही।
8.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदनावर	सत्र खंड धार	**रिक्त न्यायालय।**
9.	द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बदनावर	सत्र खंड धार	1. तहसील बदनावर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन की प्रस्तुति एवं प्रथम सुनवाई। सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, एवं रिवीजन के पंजीयन एवं वितरण का कार्य मुख्यालय धार से होगा। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिव्हीजन एवं अन्य प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र **बदनावर व कानवन** से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 4. बदनावर तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों के पाक्सों एक्ट से संबंधित ज्यूडिशियल रिमांड एवं पुलिस रिमांड सहित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।
		तहसील बदनावर	1. पुराने भू–अर्जन अधिनियम 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन अधिनियम 2013 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 2. रूपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्याकंन के साम्पत्तिक वाद। 3. समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले अन्य साम्पत्तिक प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र बदनावर एवं कानवन से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। दुर्घटना आरक्षी केन्द्र बदनावर व कानवन के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण आरक्षी केन्द्र बदनावर के क्षेत्राधिकार के निवासी हो। 5. बदनावर तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2024 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 6. बदनावर तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2024 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 7. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय, पूर्व में स्थापित श्रृंखला न्यायालय बदनावर एवं अपर जिला न्यायाधीश, बदनावर एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बदनावर, सदस्य एम.ए.सी.टी. बदनावर द्वारा पारित निर्णय, अवार्ड एवं आदेश से उत्पन्न होंगे तथा मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय से प्राप्त आदेश निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉं। 8. लोक परिसर बेदखलीय अधि. के अधीन पारित आदेशों की अपील। 9. विर्निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधि. के अन्तर्गत प्रकरण व उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। 10. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा– 27 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाये। 11. अन्य समस्त स्पेशल एवं लोकल लॉज के अन्तर्गत तहसील

			बदनावर से संबंधित प्रस्तुत होने वाले व्यवहार प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये है। 12. Arbitration and Conciliation Act, 1996 के प्रस्तुत प्रकरण। 13. भारतीय उत्तराधिकार अधि. के पार्ट–10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण। 14. गार्जियन एंड वार्डस एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 15. हिन्दू विवाह अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां। 16. भाडा नियत्रंण अधिकारी के आदेश की अपील। 17. म.प्र. नगरपालिका अधि. 1981 की धारा–20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें।
10.	अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बदनावर	सत्र खण्ड धार	**रिक्त न्यायालय**
		तहसील– बदनावर	**रिक्त न्यायालय**
11.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी।	सत्र खंड, धार।	1. तहसील कुक्षी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन की प्रस्तुति एवं प्रथम सुनवाई। सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, एवं रिवीजन के पंजीयन एवं वितरण का कार्य मुख्यालय धार से होगा। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र **कुक्षी/टांडा** से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन–पत्रों की सुनवाई का क्षैत्राधिकार।
		तहसील कुक्षी एवं डही	1. पुराने भू–अर्जन अधिनियम 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन अधिनियम 2013 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 2. **माह जनवरी से जून** तक के रूपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्याकंन के साम्पत्तिक वाद। 3. समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले अन्य साम्पत्तिक प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र डही एवं बाग से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के निवासी हो) 5. कुक्षी तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2024 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 6. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय एवं कुक्षी में पूर्व में पदस्थ रहे समस्त अपर जिला न्यायाधीश एवं फास्टट्रेक–कुक्षी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। 7. भारतीय उत्तराधिकार अधि. के पार्ट–10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण। 8. गार्जियन एंड वार्डस एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 9. हिन्दू विवाह अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत

			प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां। 10. अन्य समस्त स्पेशल एवं लोकल लॉज के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यवहार प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये है। 11. Arbitration and Conciliation Act, 1996 के प्रस्तुत प्रकरण।
12.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी।	सत्र खंड, धार।	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र **डही एवं बाग** से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का अधिकार। 3. कुक्षी तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों के पाक्सों एक्ट से संबंधित ज्यूडिशियल रिमांड एवं पुलिस रिमांड सहित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 4. कुक्षी एवं डही तहसील के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधि. 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।
		तहसील कुक्षी एवं डही	1. माह **जुलाई से दिसंबर** तक के रूपये एक करोड़ एक से अधिक के मूल्याकंन के साम्पत्तिक वाद। 2. समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले अन्य साम्पत्तिक प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र कुक्षी एवं टांडा से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के निवासी हो) 4. कुक्षी तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2024 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 5. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। 6. भाडा नियत्रंण अधिकारी के आदेश की अपील। 7. लोक परिसर बेदखलीय अधि. के अधीन पारित आदेशों की अपील। 8. विर्निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधि. के अन्तर्गत प्रकरण व उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। 9. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा– 27 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाये। 10. म.प्र. नगरपालिका अधि. 1981 की धारा–20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें।
13.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर।	सत्र खंड, धार	1. आरक्षी केन्द्र **अमझेरा व राजोद** से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन, एवं अन्य प्रकरण। 3. सरदारपुर तहसील के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधि. 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र एवं विविध

			कार्यवाहियां।
		तहसील– सरदारपुर	1. **माह सितम्बर से दिसम्बर तक** रूपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्याकंन के साम्पत्तिक वाद। 2. आरक्षी केन्द्र अमझेरा, राजगढ़ से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के निवासी हो) 3. सरदारपुर तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2024 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 4. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। 5. समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल प्रकरण।
14.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर।	सत्र खंड, धार	1. आरक्षी केन्द्र **सरदारपुर** के समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण। 3. तहसील सरदारपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आप. अपील, रिवीजन की प्रस्तुति एवं प्रथम सुनवाई। सत्र प्रकरण, आप. अपील एवं रिवीजन के पंजीयन एवं वितरण का कार्य मुख्यालय धार से होगा। 4. सरदारपुर तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों के पाक्सों एक्ट से संबंधित ज्यूडिशियल रिमांड एवं पुलिस रिमांड सहित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।
		तहसील सरदारपुर	1. **माह मई से अगस्त तक** रूपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्याकंन के साम्पत्तिक वाद। 2. आरक्षी केन्द्र सरदारपुर से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के निवासी हो) 3. **तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड** द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 4. म.प्र. नगरपालिका अधि. 1981 की धारा–20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें। 5. ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996 के प्रस्तुत प्रकरण। 6. समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण। 7. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे।
15.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश, सरदारपुर	सत्र खण्ड धार	1. आरक्षी केन्द्र **राजगढ़** के समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण।
		तहसील– सरदारपुर	1. **तहसील सरदारपुर के** पुराने भू–अर्जन अधिनियम 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन अधिनियम 2013 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी) के अंतर्गत

			प्रस्तुत प्रकरण। 2. **माह जनवरी से अप्रेल तक** रूपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्याकंन के साम्पत्तिक वाद। 3. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय एवं सरदारपुर में पूर्व में पदस्थ रहे समस्त अपर जिला न्यायाधीश (रिक्त न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण। 5. आरक्षी केन्द्र राजोद से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के निवासी हो) 6. सरदारपुर तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ **(तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड को छोडकर)** और वर्ष 2024 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ट्रेनी जज द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 7. भाडा नियत्रंण अधिकारी के आदेश की अपील। 8. लोक परिसर बेदखलीय अधि. के अधीन पारित आदेशों की अपील। 9. विर्निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधि. के अन्तर्गत प्रकरण व उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। 10. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा–27 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाये। 11. अन्य समस्त स्पेशल एवं लोकल लाज के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यवहार प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये है। 12. हिन्दू विवाह अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां। 13. भारतीय उत्तराधिकार अधि. के पार्ट–10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण। 14. गार्जियन एंड वार्डस एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
16.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर।	सत्र खंड, धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन और अन्य प्रकरण। 2. तहसील मनावर एवं गंधवानी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आप. अपील, रिवीजन की प्रस्तुति एवं प्रथम सुनवाई। सत्र प्रकरण, आप. अपील एवं रिवीजन के पंजीयन एवं वितरण का कार्य मुख्यालय धार से होगा। 3. आरक्षी केन्द्र **मनावर** से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का अधिकार। 4. मनावर एवं गंधवानी तहसील के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विघुत अधि. 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां। 5. मनावर एवं गंधवानी तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों के पाक्सों एक्ट से संबंधित ज्यूडिशियल रिमांड एवं पुलिस रिमांड सहित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।
		तहसील – मनावर एवं राजस्व	1. समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण। 2. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे।

		तहसील गंधवानी	
17.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर	सत्र खण्ड धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र **गंधवानी** से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का अधिकार।
		तहसील– मनावर एवं राजस्व तहसील गंधवानी	1. तहसील मनावर एवं राजस्व तहसील गंधवानी के पुराने भू–अर्जन अधिनियम 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन अधिनियम 2013 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 2. रूपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्याकंन के साम्पत्तिक वाद एवं समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले अन्य साम्पत्तिक प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र मनावर, गंधवानी से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के निवासी हो) 4. मनावर तहसील स्थापना पर पूर्व/वर्तमान में पदस्थ एवं वर्ष 2024 में पदस्थ होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मनावर द्वारा पारित निर्णय जयपत्र एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 5. मनावर तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2024 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ट्रेनी जज द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 6. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। 7. भाडा नियत्रंण अधिकारी के आदेश की अपील। 8. लोक परिसर बेदखलीय अधि. के अधीन पारित आदेशों की अपील। 9. विर्निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधि. के अन्तर्गत प्रकरण व उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। 10. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा– 27 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाये। 11. भारतीय उत्त्राधिकार अधि. के पार्ट–10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण। 12. गार्जियन एंड वार्डस एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 13. म.प्र. नगरपालिका अधि. 1981 की धारा–20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें। 14. हिन्दू विवाह अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां। 15. अन्य समस्त स्पेशल एवं लोकल लॉज के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यवहार प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये है। 16. Arbitration and Conciliation Act, 1996 के प्रस्तुत प्रकरण।
18.	जिला एवं अपर सत्र	सत्र खंड, धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र

	न्यायाधीश, धरमपुरी।		प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण। 2. तहसील धरमपुरी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आप. अपील, रिवीजन की प्रस्तुति एवं प्रथम सुनवाई। सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं रिवीजन के पंजीयन एवं वितरण का कार्य मुख्यालय धार में होगा। 3. आरक्षी केन्द्र **धरमपुरी** से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का अधिकार। 4. धरमपुरी तहसील के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विघुत अधि. 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां। 5. धरमपुरी तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों के पाक्सों एक्ट से संबंधित ज्यूडिशियल रिमांड एवं पुलिस रिमांड सहित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।
		तहसील–धरमपुरी	1. **माह जुलाई से दिसम्बर तक** रूपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्यांकंन के साम्पत्तिक वाद। 2. धरमपुरी तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2024 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ट्रेनी जज के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 3. आरक्षी केन्द्र धरमपुरी से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के निवासी हो) 4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. 1981 की धारा–20 के अन्तर्ग प्रस्तुत चुनाव याचिकायें। 5. Arbitration and Conciliation Act, 1996 के प्रस्तुत प्रकरण। 6. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे एवं माननीय अपीलीय न्यायालय से प्राप्त कार्यवाहीयॉ। 7. समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण।.
19.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश, धरमपुरी	सत्र खण्ड धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र **धामनोद** से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का अधिकार।
		तहसील –धरमपुरी	1. तहसील धरमपुरी के पुराने भू–अर्जन अधिनियम 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन अधिनियम 2013 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 2. **माह जनवरी से जून तक** रूपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्यांकंन के साम्पत्तिक वाद।एवं समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले अन्य साम्पत्तिक प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र धामनोद, से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के निवासी हो) 4. धरमपुरी तहसील स्थापना पर पूर्व/वर्तमान में पदस्थ एवं वर्ष 2024 में पदस्थ होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय जयपत्र एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 5. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे।

			6. भाडा नियत्रंण अधिकारी के आदेश की अपील। 7. लोक परिसर बेदखलीय अधि. के अधीन पारित आदेशों की अपील। 8. विर्निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधि. के अन्तर्गत प्रकरण व उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। 9. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा–27 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाये। 10. भारतीय उत्तराधिकार अधि. के पार्ट–10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण। 11. गार्जियन एंड वार्डस एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 12. हिन्दू विवाह अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां। 13. अन्य समस्त स्पेशल एवं लोकल लॉज के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यवहार प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये है।
20.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार।	राजस्व तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	सिविल प्रभार नही।
21.	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, धार।	राजस्व तहसील धार एवं पीथमपुर	1. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 से संबंधित साम्पतिक प्रकरण एवं समय समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्पत्तिक प्रकरण। 2. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
22.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार (वरिष्ठ खण्ड)	राजस्व तहसील धार एवं पीथमपुर	**रिक्त न्यायालय**
23.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार के न्याया. के तृतीय अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार	राजस्व तहसील धार एवं पीथमपुर	**रिक्त न्यायालय**
24.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार के न्यायालय के चतुर्थ अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार	राजस्व तहसील– धार एवं पीथमपुर	**सिविल प्रभार नहीं।**
25.	द्वितीय अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार	राजस्व तहसील धार एवं पीथमपुर	1. माह **जनवरी से जून** तक रूपये पांच लाख एक से एक करोड़ रू. तक मूल्याकंन के समस्त साम्पत्तिक वाद एवं आवेदन पत्र एवं समय–समय पर अन्तरित किये गये प्रकरण।

			2. धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपील। 3. सिविल कोर्ट एक्ट की धारा–9 के अन्तर्गत रूपये 1,000/– तक लघुवाद प्रकरण। 4. इंसालवेंसी एक्ट के अन्तर्गत रूपये पांच लाख एक से एक करोड़ रू. तक के प्रकरण। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग–10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 6. विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ। 7. समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्पत्तिक प्रकरण।
25–ए	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार (वरिष्ठ खण्ड)	राजस्व तहसील धार एवं पीथमपुर	1–समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सांपत्तिक प्रकरण। 3–रूपये एक से एक करोड़ रू. तक के धार तहसील के ऐसे प्रवर्तन प्रमाण पत्र जो बाहर के सिविल जज के न्यायालय से प्राप्त हो। 4–विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार के न्यायालय द्वारा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार के न्यायालय के चतुर्थ अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार के द्वारा एवं पूर्व में पदस्थ **रिक्त** समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित आदेश/निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ।
25–बी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश धार (वरिष्ठ खण्ड)	राजस्व तहसील धार एवं पीथमपुर	1– माह **जुलाई से दिसम्बर तक** रूपये पांच लाख एक से एक करोड़ रू. तक मूल्याकंन के समस्त साम्पत्तिक वाद एवं आवेदन पत्र। 2– समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सांपत्तिक प्रकरण। 3– विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ।
26.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार	राजस्व तहसील धार एवं पीथमपुर	**रिक्त न्यायालय**
27.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार	राजस्व तहसील धार एवं पीथमपुर	1. रूपये एक से पॉच लाख तक मुल्यांकन के सांपत्तिक वाद एवं इंसाल्वेंसी प्रकरण। 2. समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल प्रकरण। 3. विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चात्वर्ती समस्त कार्यवाहियॉ। 4. धार स्थापना पर पूर्व में पदस्थ समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, प्रशिक्षु न्यायाधीश द्वारा निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं प्रर्वतन प्रकरण तथा अपील

			न्यायालय के आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ।
28.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार	राजस्व तहसील– धार एवं पीथमपुर	**सिविल प्रभार नहीं।**
29.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार	राजस्व तहसील– धार एवं पीथमपुर	**रिक्त न्यायालय**
30.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार	राजस्व तहसील– धार एवं पीथमपुर	**रिक्त न्यायालय**
31.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सरदारपुर	राजस्व तहसील सरदारपुर	1. रू. पांच लाख एक से एक करोड़ रूपये तक के मूल्याकंन के साम्पत्तिक वाद तथा समय समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्पत्तिक प्रकरण। 2. रू. पांच लाख एक से एक करोड़ रूपये तक के इंसालवेंसी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग–10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 4. लघुवाद प्रकरण रू. 1000/ तक मूल्याकंन के जिनकी सुनवाई हेतु धारा–9 सिविल कोर्ट एक्ट के अन्तर्गत अधिकृत है। 5. धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपील। 6. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व में पदस्थ समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सरदारपुर द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ।
32.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरदारपुर	राजस्व तहसील सरदारपुर	1. **माह मई से अगस्त तक** रू. एक से पॉच लाख रूपये तक के मूल्यांकन के सांपत्तिक वाद एवं इंसाल्वेंसी प्रकरण। 2. समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। 3. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ।
33.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरदारपुर	राजस्व तहसील सरदारपुर	1. **माह सितम्बर से दिसम्बर तक** रू. एक से पॉच लाख रूपये तक के मूल्यांकन के सांपत्तिक वाद एवं इंसाल्वेंसी प्रकरण। 2. समय समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्पत्तिक प्रकरण। 3. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरदारपुर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न

			हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ।
34.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरदारपुर	राजस्व तहसील सरदारपुर	1. **माह जनवरी से अप्रेल तक** रू. एक से पॉच लाख रूपये तक के मूल्यांकन के सांपत्तिक वाद एवं इंसाल्वेंसी प्रकरण। 2. समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। 3-विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ।
35.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी	–	**रिक्त न्यायालय**
36.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी	राजस्व तहसील कुक्षी एवं डही	1. रू. पॉच लाख एक रूपये से एक करोड़ तक के मूल्यांकन के सांपत्तिक वाद एवं इंसाल्वेंसी प्रकरण। 2. धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपील। 3. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कुक्षी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ। 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग–10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 5. लघुवाद प्रकरण रू. 1000/ तक मूल्याकंन के जिनकी सुनवाई हेतु धारा–9 सिविल कोर्ट एक्ट के अन्तर्गत अधिकृत है।
37.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी	राजस्व तहसील– कुक्षी एवं डही	1. समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्पत्तिक प्रकरण। 3. विविघ एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चात्वर्ती समस्त कार्यवाहीयॉ। 4. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ।
38.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी	राजस्व तहसील– कुक्षी एवं डही	1. समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्पत्तिक प्रकरण। 2. विविघ एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चात्वर्ती समस्त कार्यवाहीयॉ।
39	अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ	राजस्व तहसील–	1. एक से पॉच लाख रूपये तक के मूल्यांकन के सांपत्तिक वाद एवं इंसाल्वेंसी प्रकरण।

	खण्ड कुक्षी	कुक्षी एवं डही	2. समय–समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्पत्तिक प्रकरण। 3. विविघ एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चात्वर्ती समस्त कार्यवाहीयॉ।
40.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी।	राजस्व तहसील धरमपुरी	1. रू. पॉच लाख एक से एक करोड़ तक के मूल्याकंन के साम्पत्तिक वाद तथा समय समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्पत्तिक प्रकरण। 2. रू. रू. पॉच लाख एक से एक करोड़ तक के इंसालवेंसी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग–10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 4. लघुवाद प्रकरण रू. 1000/ तक मूल्याकंन के जिनकी सुनवाई हेतु धारा–9 सिविल कोर्ट एक्ट के अन्तर्गत अधिकृत है। 5. धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपील। 6. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा एवं पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ।
41.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धरमपुरी	राजस्व तहसील धरमपुरी	1. रू. एक से पॉच लाख तक के मूल्यांकन तक के सांपत्तिक/इंसाल्वेंसी वाद एवं समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सांपत्तिक प्रकरण। 2. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा एवं पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ।
42.	पीठासीन अधिकारी ग्राम न्यायालय मनावर	राजस्व तहसील मनावर एवं गंधवानी	1. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से संबंधित साम्पत्तिक प्रकरण एवं समय समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हो।
43.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मनावर।	राजस्व तहसील मनावर एवं गंधवानी	1. रू. पॉच लाख एक से एक करोड़ तक के मूल्याकंन के साम्पत्तिक/इंसाल्वेंसी वाद तथा समय समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्पत्तिक प्रकरण। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग–10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 3. लघुवाद प्रकरण रू. 1000/ तक मूल्याकंन के जिनकी सुनवाई हेतु धारा–9 सिविल कोर्ट एक्ट के अन्तर्गत अधिकृत है। 4. धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत

			होने वाली अपील। 5. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा एवं पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ।
44.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनावर	राजस्व तहसील मनावर एवं गंधवानी	1. **माह जुलाई से दिसम्बर तक** रू. एक से पॉच लाख रूपये तक के मूल्यांकन के सांपत्तिक वाद एवं इंसाल्वेंसी प्रकरण। 2. समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सांपत्तिक प्रकरण। 3. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा एवं पूर्व में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनावर के न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियां।
45	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनावर	राजस्व तहसील मनावर एवं गंधवानी	1. **माह जनवरी से जुन तक** रू. एक से पॉच लाख रूपये तक के मूल्यांकन के सांपत्तिक वाद एवं इंसाल्वेंसी प्रकरण। 2. समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सांपत्तिक प्रकरण। 3. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियां।
46.	. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बदनावर	राजस्व तहसील बदनावर	1. रू. पांच लाख एक से एक करोड़ तक के मूल्याकंन के साम्पत्तिक/इंसाल्वेंसी वाद तथा समय समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्पत्तिक प्रकरण। 2. धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपील। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग–10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 4. लघुवाद प्रकरण रू. 1000/ तक मूल्याकंन के जिनकी सुनवाई हेतु धारा–9 सिविल कोर्ट एक्ट के अन्तर्गत अधिकृत है। 5. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा एवं पूर्व में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ।
47.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बदनावर	राजस्व तहसील बदनावर	**1. माह जुलाई से दिसम्बर तक** रू. एक से पॉच लाख तक के मूल्यांकन तक के सांपत्तिक/इंसाल्वेंसी वाद। 2. समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सांपत्तिक प्रकरण। 3. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा एवं पूर्व में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बदनावर के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ।

48.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बदनावर	राजस्व तहसील बदनावर	1. **माह जनवरी से जुन तक** रू. एक से पॉच लाख तक के मूल्यांकन तक के सांपत्तिक / इंसाल्वेंसी वाद 2. समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सांपत्तिक प्रकरण। 3. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ।

टिप्पणी :–

(अ) धार में पदस्थ विशेष न्यायाधीश / प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 438, 439 दं.प्र.सं. के अधीन पूर्व में निपटाये गये आवेदन पत्र के पश्चात् पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर या मामले के सह–अभियुक्त के आवेदन प्रस्तुत होने पर सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति या अवकाश काल में ऐसे आवेदन सुनवाई एवं निराकरण हेतु जैसी भी स्थिति हो क्रमशः विशेष न्यायाधीश, प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई एवं निराकरण हेतु रखे जावेगे।

(ब) जिला मुख्यालय धार में जब भी सत्र न्यायाधीश अवकाश पर रहेगें तब उनकी अनुपस्थिति में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्रों में वे जमानत आवेदन पत्र जो पूर्व में किसी अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किये गये होगें तथा उसी मामले में प्रस्तुत सह अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र भी स्वमेव उसी न्यायाधीश को अंतरित हो जावेगें, जिनके द्वारा पूर्ववर्ती जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया गया है।

(स) सत्र न्यायाधीश के निरंतर अवकाश के दौरान लंबित सभी जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण निम्नानुसार किया जावेगा :–

प्रथम दिवस के अवकाश पर	अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, धार (अंतर्गत–अ0जा / अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधि.)
द्वितीय दिवस के अवकाश पर	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, धार
तृतीय दिवस के अवकाश पर	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, धार
चतुर्थ दिवस के अवकाश पर	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, धार
पंचम दिवस के अवकाश पर	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, धार
षष्ठम दिवस के अवकाश पर	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, धार

नोट :–

1. सत्र न्यायाधीश के उपरोक्त अवधि से अधिक दिवस के अवकाश पर रहने की दशा में इसी क्रमानुसार जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण किया जावेगा।

2. इस दौरान प्रभारी अधिकारी के भी अवकाश पर रहने की स्थिति में उपरोक्त तालिकानुसार क्रमवर्ती आगामी पीठासीन अधिकारी जमानत आवेदन पत्र का निराकरण करेंगे।

3. यदि प्रभारी अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र में किन्ही परिस्थितियों में आगामी दिनांक नियत की जाती हैं तो ऐसे जमानत आवेदन पत्रों की आगामी दिनांक पर सुनवाई एवं निराकरण उसी प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जावेगा, जिनके द्वारा उसमें आगामी पेशी नियत की गई थी। आकस्मिक कारण से उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर सुनवाई एवं निराकरण क्रमवर्ती न्यायाधीश करेंगे और उक्त जमानत आवेदन पत्र उनके क्रम में सम्मिलित होगा।

4. इस दौरान यदि एक ही अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र सुनवाई हेतु नियत होता है तो वह प्रथम जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई करने वाले न्यायालय को स्वमेव अंतरित हो जावेगा और उसकी सुनवाई उसी न्यायाधीश (यदि वह मुख्यालय पर पदस्थ है) के द्वारा की जायेगी जिनके द्वारा

प्रथम जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया गया है। **इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के मेमोरेण्डम कमांक 161/जबलपुर, दिनांक 13–12–2021 में पारित निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाये।**

5. इसी प्रकार सहअभियुक्त से संबंधित जमानत आवेदन–पत्र भी पूर्व अभियुक्त की सुनवाई वाले न्यायालय में स्वमेव अंतरित हो जावेगा।

6. ऐसे जमानत आवेदन पत्र जिनकी सुनवाई सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के दौरान इंचार्ज सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई हो, उसी अपराध के सह अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र या उसी अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर यदि सुनवाई दिनांक को पुनः सत्र न्यायाधीश अवकाश पर रहते हैं तो ऐसे जमानत आवेदन पत्र स्वमेव उसी न्यायाधीश के यहॉ अंतरित होंगे, जिन्होंने इंचार्ज सत्र न्यायाधीश की हैसियत से पूर्व जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया है।

7. एक ही अपराध से संबंधित ऐसे जमानत आवेदन पत्र जिनमें अभियुक्त/सहअभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र पूर्व में सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश धार द्वारा निराकृत किया गया हो, ऐसा जमानत आवेदन पत्र सुनवाई दिनांक को यदि किसी अन्य न्यायालय में अंतरित हो जाता है और संबंधित न्यायाधीश के संज्ञान में यह तथ्य आ जाता है तो उक्त न्यायाधीश पूर्व में जिस न्यायालय से जमानत आवेदन पत्र निराकृत हुआ हो, उस न्यायालय को आदेश पत्रिका में संपूर्ण उल्लेख करते हुए सुनवाई हेतु स्वमेय प्रेषित् कर, सूचना सत्र न्यायाधीश को भेजेंगे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि सुनवाई दिनांक को पूर्व निराकृत जमानत आवेदन पत्र से संबंधित न्यायालय का पद रिक्त रहता है तो जिस न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र अंतरित हुआ हो उस न्यायालय द्वारा ही उसकी सुनवाई की जायेगी।

8. ऐसे जमानत आवेदन पत्र जो किसी न्यायालय में सुनवाई हेतु अंतरित हुए है और उक्त न्यायालय के न्यायाधीश मुख्यालय पर उपस्थित होते हुए मीडिएशन कार्यवाही, ट्रेनिंग अथवा अन्य किसी शासकीय कार्य में मुख्यालय पर उपस्थित रहते सम्पूर्ण दिवस के लिये व्यस्त हो तो ऐसे जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई प्रभारी न्यायाधीश द्वारा की जायेगी। **इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के मेमोरेण्डम कमांक 161/जबलपुर, दिनांक 13–12–2021 में पारित निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाये।**

(द) शीतकालीन व अन्य प्रकृति तथा पीठासीन अधिकारी की मुख्यालय पर अनुपस्थिति के अवकाश के दौरान् तथा पीठासीन अधिकारी का अन्यथा कारणों से पद रिक्त रहने के दौरान प्रस्तुत किये गये सिविल प्रकरण एवं आपराधिक प्रकरण जिसमें अत्यावश्यक सहायता मांगी गई है, का निपटारा भी संबंधित प्रभारी न्यायालय द्वारा किया जावेगा। इसके लिए पृथक से प्रधान जिला न्यायाधीश की अनुमति लेना आवश्यक नहीं रहेगी।

(इ) तहसील स्थापना पर ऐसे जमानत आवेदन पत्र जो कार्यविभाजन पत्रक अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत हुए हो और उक्त न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश पर रहने या अन्य शासकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण उक्त जमानत आवेदन पत्र का निराकरण प्रभारी न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है तो उसी अपराध से संबंधित अन्य अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र कार्यविभाजन पत्रक अनुसार मूल न्यायालय में प्रस्तुत होता है और न्यायाधीश उपलब्ध है तो उसका निराकरण उनके द्वारा ही किया जायेंगा। किन्तु यदि पूर्व अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है तो उक्त आवेदन पत्र का निराकरण पूर्व आवेदन पत्र का निराकरण करने वाले न्यायाधीश द्वारा ही किया जायेंगा। **इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के मेमोरेण्डम कमांक 161/जबलपुर, दिनांक 13–12–2021 में पारित निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाये।**

(एफ) धार व्यवहार जिले में पदस्थ किसी न्यायाधीश के ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन अथवा अन्य प्रकार के अवकाश पर रहने की स्थिति में उनके न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य उनके सम्मुख दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा निपटाया जावेगा। साथ ही धारा 10(3) द.प्र.सं. के अन्तर्गत सत्र न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीशगण की अनुपस्थिति में अर्जेन्ट (आवश्यक) आवेदनों का निराकरण किये जाने की व्यवस्था **निम्नानुसार** रहेगी :– (क्रमानुसार अर्थात कार्य विभाजन पत्रक के क्रम अनुसार प्रभारधारी।)

क्रं.	**पदाधिकारी**	**कार्यभारित अधिकारी**

1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि.) धार, की अनुपस्थिति में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धार एवं अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
2	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धार	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, (विशेष न्यायाधीश अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि.) धार, की अनुपस्थिति में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश धार, अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
3	प्रथम जिला न्यायाधीश धार के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश अंतर्गत धारा अनुसूचित जाति/जनजाति) धार	मात्र अ0जा0/अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम/एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित प्रकरणों का **अत्यंत अत्यावश्क** कार्य सत्र न्यायाधीश, धार तथा अनुपस्थिति में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश। अ0जा0/अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों सहित शेष अन्य प्रकरणों का संपूर्ण कार्य पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
4	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश धार के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश अंतर्गत धारा अनुसूचित जाति/जनजाति) धार का (**पद रिक्त होने की स्थिति में**)	एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित अत्यंत अत्यावश्क आवेदन पत्रों का निराकरण मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, धार तथा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठता के क्रमानुसार अपर सत्र न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, धार। अ0जा0/अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित अत्यंत अत्यावश्क आवेदन पत्रों का निराकरण मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, धार तथा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठता के क्रमानुसार वरिष्ठता के क्रमानुसार अपर सत्र न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, धार एवं सभी की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार। **नोट :– उक्त व्यवस्था विशेष न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश के भी अवकाश पर रहने पर भी प्रभावशील होगी।**
5	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	1. मात्र भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का **अत्यंत अत्यावश्क** कार्य सत्र न्यायाधीश, धार तथा अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश। 2. **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संबंधित प्रकरणों सहित शेष अन्य प्रकरणों का संपूर्ण कार्य** पंचम अपर सत्र न्यायाधीश धार, अनुपस्थिति में प्रथम जिला न्यायाधीश, धार के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश अंतर्गत अधि0 अनुसूचित जाति/जनजाति) धार अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
6	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार। अनुपस्थिति में चतुर्थ जिला एव अपर सत्र न्यायाधीश धार। अनुपस्थिति में पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार। अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश। 7
7	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार। अनुपस्थिति में चतुर्थ जिला एव अपर सत्र न्यायाधीश धार। अनुपस्थिति में पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार। अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।

8	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
9	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार अनुपस्थिति में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
10	द्वितीय अति0 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बदनावर	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
11	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर।	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सरदारपुर अनुपस्थिति में अति0 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर अनुपस्थिति में चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
12	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर।	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर अनुपस्थिति में अति0 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर अनुपस्थिति में पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
13	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश, सरदारपुर	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर अनुपस्थिति में चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
14	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी।	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कुक्षी अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
14	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी।	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी अनुपस्थिति में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मनावर। अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
16	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी	अति0 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी अनुपस्थिति में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर, अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर अनुपस्थिति में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
17	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश, धरमपुरी	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर, अनुपस्थिति में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
18	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर अनुपस्थिति में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी, अनुपस्थिति में अति0 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी अनुपस्थिति में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
19	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर अनुपस्थिति में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी अनुपस्थिति में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश, धरमपुरी अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
20	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार अनुपस्थिति में, द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार अनुपस्थिति मे क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
21	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, धार	द्वितीय अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
22	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार अनुपस्थिति में द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।

23	द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
24	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार के न्यायालय के चतुर्थ अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार	द्वितीय अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार एवं अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
25	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार अनुपस्थिति में प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
26	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार अनुपस्थिति में प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
27	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बदनावर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार अनुपस्थिति में द्वितीय अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार अनुपस्थिति में प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
28	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बदनावर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बदनावर, अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बदनावर अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
29	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बदनावर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बदनावर, अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बदनावर अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
30	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सरदारपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार अनुपस्थिति में द्वितीय अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार अनुपस्थिति में प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
31	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरदारपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरदारपुर अनुपस्थिति में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरदारपुर अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सरदारपुर अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
32	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरदारपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरदारपुर अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरदारपुर अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सरदारपुर अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
33	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरदारपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सरदारपुर अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरदारपुर अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सरदारपुर अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
34	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर, अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
35	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी अनुपस्थिति में अतिरिक्त प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
36	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी अनुपस्थिति में अतिरिक्त प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।

37	अतिरिक्त प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
38	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मनावर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी, अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
39	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनावर	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मनावर अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
40	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनावर	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मनावर अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
41	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मनावर अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी अनु0 में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
42	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, धरमपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मनावर, अनुपस्थिति में अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनावर अनु0 में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
43	समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीश, धार	उपस्थित वरिष्ठतम/वरिष्ठ प्रशिक्षू न्यायाधीश अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
44	समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीश, तहसील स्थापना समस्त	उपस्थित वरिष्ठतम/वरिष्ठ प्रशिक्षू न्यायाधीश अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।

टिप्पणी :–

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धार, विशेष न्यायाधीश/प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, धार इनकी अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुक्षी/मनावर/सरदारपुर/धरमपुरी तथा सभी की अनुपस्थिति में धारा 10 (3) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत अत्यावश्यक आवेदन पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, धार द्वारा तथा इनकी अनुपस्थिति में प्रभारधारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाये जायेगें।

2. पूर्व में पदस्थ निम्न न्यायालय द्वारा आपराधिक एवं दीवानी प्रकरणों (क्लेम प्रकरणों सहित) में पारित निर्णय एवं जयपत्र या आदेश के बाबद प्रस्तुत होने वाले प्रवर्तन व अन्य प्रकरण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय से कोई आदेश निर्णय या निर्देश पत्र प्राप्त होते है उनका पालन एवं पश्चात्वर्ती कार्यवाही एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित अवार्ड आदि की राशि का भुगतान/पालन उनके नाम के सम्मुख दर्शाये न्यायालय एवं उनकी अनुपस्थिति में कार्य विभाजन पत्रक अनुसार **क्रमानुसार प्रभारधारी न्यायालय द्वारा** किया जायेगा :–

क्रं.	**रिक्त न्यायालय का नाम** (रिक्त समस्त पूर्व में प्रथम/द्वितीय............/अति0 न्यायालय आदि सम्मिलित है)	**प्रभारधारी न्यायालय का नाम**
1	रिक्त समस्त नियमित एवं प्रशिक्षु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार
2	रिक्त समस्त, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार,	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार
3	रिक्त समस्त, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार प्रशिक्षु न्यायाधीश, सहित।	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, धार
3	रिक्त समस्त पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनावर। (फास्ट ट्रेक न्यायालय सहित)	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर।
4	रिक्त समस्त पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कुक्षी (फास्ट ट्रेक न्यायालय सहित)	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी।

5	रिक्त समस्त पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदनावर (श्रृंखला न्यायालय सहित)	द्वितीय अति0 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बदनावर
6	रिक्त समस्त पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर।
7	रिक्त, समस्त पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी	अति0 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी।
8	रिक्त, समस्त पूर्व पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी
9	रिक्त, समस्त पूर्व पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बदनावर	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बदनावर
10	रिक्त, समस्त पूर्व पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी
11	रिक्त समस्त पूर्व पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मनावर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी
12	रिक्त समस्त पूर्व पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सरदारपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सरदारपुर
13	रिक्त समस्त पूर्व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कुक्षी
14	रिक्त समस्त पूर्व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बदनावर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बदनावर।
15	रिक्त समस्त पूर्व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, धरमपुरी	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, धरमपुरी
16	रिक्त समस्त पूर्व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मनावर	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मनावर
17	रिक्त समस्त पूर्व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सरदारपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सरदारपुर

03. अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत जिला धार के प्रस्तुत होने वाले समस्त जमानत आवेदन पत्र विशेष न्यायाधीश के अवकाश अथवा अन्य की प्रकार की अनुपस्थिति की स्थिति में सत्र न्यायाधीश, धार एवं उनकी अनुपस्थिति में धार मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धार द्वारा सुने जावेगें तथा अन्य प्रकरणों का प्रभार प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार के पास रहेगा।

04. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य सत्र न्यायाधीश, धार एवं उनके अवकाश अथवा अनुपस्थित रहने की स्थिति में कमानुसार प्रभारी न्यायाधीश/वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास रहेगा।

05. एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले लंबित प्रकरणों का अति आवश्यक कार्य विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, धार की अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, धार तथा उनकी अनुपस्थिति में मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा।

06. भारतीय विघुत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणें का अति आवश्यक कार्य विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में निम्नानुसार रहेगाः–

<u>विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003)</u>

विशेष न्यायाधीश, धार एवं बदनावर (विद्युत अधिनियम)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में कमानुसार प्रभारधारी न्यायाधीश।
विशेष न्यायाधीश सरदारपुर (विद्युत अधिनियम)	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर अनुपस्थिति में कमानुसार प्रभारधारी न्यायाधीश।

विशेष न्यायाधीश मनावर (विद्युत अधिनियम)	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी न्यायाधीश।
विशेष न्यायाधीश, कुक्षी (विद्युत अधिनियम)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी न्यायाधीश।
विशेष न्यायाधीश धरमपुरी (विद्युत अधिनियम)	अति0 अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी न्यायाधीश।

07. क्लेम प्रकरणों में अधिनिर्णय अनुसार जमा राशियों का भुगतान किसी भी कारण से रिक्त न्यायालय के संबंध में संबंधित रिक्त न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश के द्वारा अत्यावश्यक कार्य स्वरूप निष्पादित किया जावेगा।

08. धार मुख्यालय पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रथम रिमांड एवं पश्चात के रिमांड एवं अभियोग पत्र पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, धार में तथा अनुपस्थिति में कार्यभारित अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे। सार्वजनिक अवकाश की अवधि में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रथम रिमांड, रिमांड न्यायालय के प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जावेगा।

09. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अपराध भी सम्मिलित हैं, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रथम रिमांड एवं पश्चात के रिमांड एवं अभियोग पत्र भी पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, धार में तथा अनुपस्थिति में कार्यभारित अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे। सार्वजनिक अवकाश की अवधि में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अपराध भी सम्मिलित हैं, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रथम रिमांड, रिमांड न्यायालय के प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जावेगा।

10. इसी प्रकार **सरदारपुर** तहसील स्थापना पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर, **बदनावर** तहसील स्थापना पर द्वितीय अति. अपर सत्र न्यायाधीश, बदनावर, **कुक्षी** तहसील स्थापना पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी एवं **धरमपुरी** तहसील स्थापना पर अपर सत्र न्यायाघीश, धरमपुरी **एवं मनावर** तहसील स्थापना पर अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर को आपराधिक क्षेत्राधिकारधारी पाक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत किया जाता है। उपरोक्त न्यायाधीशगण के न्यायालय में संबंधित तहसीलों के समस्त आरक्षी केन्द्रो के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रथम रिमांड, पश्चात के रिमांड एवं अभियोग पत्र प्रस्तुत होंगे जिनके पंजीयन की कार्यवाही संबंधित न्यायालय द्वारा की जावेंगी और उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित जमानत आवेदन पत्र भी उन्हीं के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे, जिसका निराकरण भी वे विधी अनुसार करेंगे । उनकी अनुपस्थिति में कार्यभारित अधिकारी के द्वारा कार्यवाही की जावेगी। मात्र कार्यभारित अधिकारी के भी अवकाश पर रहने पर संबंधित आरक्षी केन्द्र की सुनवाई वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट, एवं सार्वजनिक अवकाश की अवधि में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रथम रिमांड, रिमांड न्यायालय के प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जावेगा। **यह स्पष्ट किया जाता हैं कि पाक्सों एक्ट से संबंधित प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र दर्ज/अंतरण के लिये सत्र न्यायाधीश, धार की ओर प्रेषित नहीं किये जाकर सीधे संबंधित न्यायालय में ही दर्ज होंगे व आगामी संपूर्ण कार्यवाही संपादित की जावेगी।**

11. **समस्त धार जिला :–** मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 से संबंधित प्रकरणों के प्रथम रिमांड की सुनवाई संबंधित आरक्षी केन्द्र के संबंधित न्यायालय द्वारा की जावेगी तत्पश्चात पत्रावली

प्रथम अपर सत्र न्यायालय, धार की ओर भेजी जावेगी। इसके पश्चात के रिमाण्ड की कार्यवाही एवं अभियोग पत्र प्रस्तुती प्रथम अपर सत्र न्यायालय, धार में होगी। अभियोग पत्र सत्र पंजी में पंजीबद्ध होगा।

12 रिक्त न्यायालय होने की स्थिति में उक्त रिक्त न्यायालयों में संधारित समस्त प्रकार की पंजीयों (अर्थदण्ड पंजी, चालान पंजी, भुगतान पंजी, दायरा, आदि समस्त पंजीयॉ) को उनकें प्रभारधारी न्यायालय द्वारा आवश्यक रूप से प्राप्त किया जायें। रिक्त न्यायालय की पुनः स्थापना होने की स्थिति में प्राप्त पंजीयां पुनः संबंधित न्यायालय के कार्यभार ग्रहण करने पर वापस लौटायी जाये।

13. जिला न्यायाधीश संवर्ग के न्यायालय से यदि सिविल प्रभार समाप्त किया जाता है तो उक्त न्यायालय/अधिकरण के, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों/भू अर्जन प्रकरणो/अन्य प्रकरणो में जमा राशि के भुगतान से संबंधित समस्त पंजीयॉ/समस्त पत्रावलीयॉ, जमा राशि के भुगतान/अन्य कार्यवाही हेतु प्रभारधारी न्यायालय को सौपेगे और प्रभारधारी न्यायालय द्वारा राशि के भुगतान आदि का समस्त कार्य किया जायेगा। यदि संबंधित न्यायालय/अधिकरण को पुनः सिविल प्रभार सौपा जाता है तो तो प्रभारधारी न्यायालय उक्त अधिकरण से प्राप्त संबंधित पंजीयॉ उन्हें वापस लौटायेगे।

उक्त कार्य विभाजन पत्रक आज दिनांक : 07/02/2024 से आगामी नवीन कार्य विभाजन पत्रक जारी होने तक प्रभावशील होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
धार (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार (म.प्र.)

पृ.क्र. /SW_Diss Memo/2024 धार, दिनांक : 07/02/2024

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. सचिव माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय (जिला–धार), माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ–इन्दौर।
3. समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार, सरदारपुर, बदनावर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी।
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय धार,
5. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार, सरदारपुर, बदनावर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी।
6. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/प्रशिक्षु न्यायाधीश, धार, सरदारपुर, बदनावर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी।
7. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार
8. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, धार/बदनावर/सरदारपुर/मनावर/कुक्षी/धरमपुरी
9. सिस्टम ऑफिसर/असिस्टेट, धार की ओर उक्त पृष्ठांकन/ज्ञापन की प्रति समस्त न्यायाधीशगण एवं तहसील स्थापना के ई–मेल आय.डी. पर अपलोड किये जाने बाबद प्रेषित।

–00–

की ओर वर्ष 2024 के कार्य विभाजन पत्रक की प्रति सरल क्र. 01 व 02 की ओर सूचनार्थ एवं शेष सरल क्रमांक 3 से 9 के लिए पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
धार (म0प्र0)

1. रजिस्ट्री जबलपुर का ज्ञापन क. ए/3429/तीन–6–3/18, दिनांक 27.09.18 एम.पी./एम.एल.एस. से संबंधित प्रकरण 21वें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल को सुनवाई का अधिकार। अन्य ज्ञापन क. सी/2277, 10. 05.18 एवं डी/5743 दिनांक 21.08.18, हाईकोर्ट नस्ती व ए 3429 केस ट्रांसफर फाईल में है।

2. रजिस्ट्री जबलपुर के ज्ञापन क. सी/1336/तीन–2–41/76, जबलपुर, दिनांक 21/03/2017 के आलोक में दिनांक 01/04/17 के पश्चात उपार्पित चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु इस कार्यालय के विविध कार्या. आदेश क. 36/एस.डब्ल्यू/कार्य विभा,17, दिनांक 31/03/17 अनुसार श्री आर.के.वर्मा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार अधिकृत। स्थानांतरण आदि पर नव पीठासीन अधिकारी यथावत इस आदेश के अधीन सशक्त माने जावेंगे।

3. कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल एक्ट 2015 से संबंधित समस्त प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई संपूर्ण जिला हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार के पास प्रभार। कार्य विभाजन विविध कार्यालयीन आदेश क. 41, का.वि. पत्रक/एस.डब्ल्यू/12.04.17 से प्रभावी।

4. अधिसूचना क. सी/1816, तीन–6–4/57, जबलपुर, दिनांक 10/04/18 अनुसार सी.बी.आई के प्रकरणों की सुनवाई हेतु कु. निधी मोदिता पिंटो, जे.एम.एफ.सी. इंदौर अधिकृत। नई अधिसूचना रजि. जबलपुर सी/4828/तीन–6–4/57, भाग–40, जबलपुर, दिनांक 10/10/18 द्वारा सी.बी.आय के प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत।

5. अधिसूचना क. C/4019/III-6-6/84-11, JABALPUR DT. 03.09.2019) अनुसार श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को (POCSO ACT 2012 & OFFENCE AGAIN WOMEN) अधिनियम के प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत।

6. ज्ञापन क. बी/3767/तीन–6–4/03–9 जबलपुर, दिनांक 24/07/2018 अनुसार श्रीमती शुभ्रासिंह के स्थान पर श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को विद्युत अधिनियम के प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत किया गया था।

7. अधिसूचना क. बी/6446 Elec Act/तीन–6–4/2003, जबलपुर, दिनांक 28/12/19 अनुसार श्रीमती प्रेमा साहू, चतुर्थ अति0 सेशन न्यायाधीश, धार को विद्युत अधिनियम के प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत।